न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35 / 2022

1. डुंगरमल पुत्र मगराज सैनी जाति माली निवासी वार्ड न0 09 बिसाऊ तह तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. बनारसीदेवी उम्र 54 वर्ष पत्नी डुंगरमल जाति माली निवासी वार्ड नं. 9 बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

आवेदकगण

बनाम

1. इस्ताकखां आयु 65 वर्ष पुत्र अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
2. जुबेदा बानो उम्र 53 वर्ष पुत्री अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
3. मदीना बानो उम्र 33 वर्ष पुत्री गुलामखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
4. मुबारिकखां उम्र 50 वर्ष पुत्र अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
5. माफिया बानो उम्र 65 वर्ष पत्नी गुलामखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
6. मोबिन बानो उम्र 31 वर्ष पुत्री गुलामखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
7. माहिदिनखां उम्र 59 वर्ष पुत्र अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
8. युसुफ खां उम्र 50 वर्ष पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
9. रहीसा बानो उम्र 29 वर्ष पुत्री गुलाम खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
10. सोनू बानो उम्र 27 वर्ष पुत्री गुलाम खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनूं
11. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. बानों उम्र 60 वर्ष पत्नि मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील गलगीसर जिला झुंझुंनू, राज०
13. रफिक उम्र 40 वर्ष पुत्र मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज०
14. इमरान उम्र 30 वर्ष पुत्र मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनू राज०
15. सदाम उम्र 34 वर्ष पुत्र मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज०
16. सलीम उम्र 38 वर्ष पुत्र मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनू राज०
17. जुलेखा उम्र 30 वर्ष पुत्री मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनू राज०
18. सहनाज बानो उम्र 32 वर्ष पुत्री मुस्ताक जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनू राज०
19. नेकी बानो उम्र 50 वर्ष पत्नि युनुस खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील व मलसीसर जिला झुंझुंनू राज०

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

20. रुकसार बानो उम्र 28 वर्ष पुत्री युनुस खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज०
21. अकरम उम्र 26 वर्ष पुत्र युनुस खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज०
22. नसरीन बानो उम्र 24 वर्ष पुत्री युनुस खां जाति कायमखानी निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज०
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा।

अनावेदकगण

वकील प्रार्थीगण – रामकुमार सैनीअधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 04.07.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम बिसाऊ की सरहद में अवस्थित आराजी हाल ख.न. 1018 रकबा 1.02 हैक्टर, ख.न. 1037 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.न. 1038 रकबा 1.93 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.05 हैक्टर भूमि आवेदकगण की सयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर आवेदकगण काबिज काश्त है।वाके ग्राम बिसाऊ पटवार बिसाऊ की सरहद में ही अवस्थित हाल ख.न. 1039 रकबा 1.80 हैक्टर भूमि अनावेदकगण 1 लगायत 22 की सयुंक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर अनावेदकगण 1 लगायत 2.2 काबिज काश्त है।आवेदगगण आवेदन पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में अनावेदकगण 1 लगागत 22 के खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अपने पूर्वजों के समय से ही ऊंट गाड़ा मवेशी आदि लाते ले जाते रहे है। आवेदकगण के पास अपनी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। आवेदकगण अपनी भूमि पर उद्यान आदि विकसित करना चाहते है जिसके लिये आवेदकगण को अपनी भूमि पर वड़ीगाड़ी ले जाने के लिये आवश्यकता पड़ सकती है इसलिये आवेदकगण नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए. से बी. अनावेदकगण की भूमि ख.न. 1039 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे मुख्य रास्ते से कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।आवेदकगण एंव अनावेदकगण 1 लगायत 20 के पूर्वजों के समय से ही आपस में मधुर सम्बन्ध रहे है तथा कभी उक्त रास्ते बाबत आवेदकगण एंव अनावेदकगण 1 लगायत 22 के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। परन्तु पिछले कुछ समय से अनावेदकगण 1 लगायत 22 आवेदकगण को उक्त रास्ते से जाने के लिये मना कर रहे है। आवेदकगण के पास अपने खेत में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है।आवेदकगण अपनी भूमि पर उद्यान वगैर विकसित करना चाहते है जिसके लिये बड़े वाहन की भी आवेदकगण को अपने खेत में ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी इसलिये आवेदकगण अनावेदकगण 1 लगायत 22 के खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दशार्ये बिन्दु ए से बी तक 14 फुट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाये जाने के अधिकारी है। आवेदकगण उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के वदले अपनी भूमि में से भूमि या डी एल सी दर की दुगुनी दर से भुगतान करने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संवंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाव पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 22 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6क के तहत EX PARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 22 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया ।

तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 26 दिनांक 24.05.2024 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण के खेत ख.न. 1018,1037,1038 में आने जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। वादीगण द्वारा ख.न. 1039 में से रास्ता चाहा गया है। ख.न. 1039 बिसाऊ– भिखनसर कच्चे रास्ते पर स्थित है। ख.न. 1039 की दक्षिण सीमा के सहारे सहारे चाहे गये रास्ते की दुरी 172 मीटर है। प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इस प्रकार से प्रस्तावित रास्ते का माप 172 गुणा 4 कुल 688 वर्गमीटर है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 22 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6क के तहत EX PARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 22 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया ।

तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 26 दिनांक 24.05.2024 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण के खेत ख.न. 1018,1037,1038 में आने जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। वादीगण द्वारा ख.न. 1039 में से रास्ता चाहा गया है। ख.न. 1039 बिसाऊ– भिखनसर कच्चे रास्ते पर स्थित है। ख.न. 1039 की दक्षिण सीमा के सहारे सहारे चाहे गये रास्ते की दुरी 172 मीटर है। प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इस प्रकार से प्रस्तावित रास्ते का माप 172 गुणा 4 कुल 688 वर्गमीटर है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन विछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 1018,1037,1038 में पहुंच बाबत खसरा न. ख.न. 1039 में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार बिसाऊ की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा डी.एल.सी की दुगुनी दर से राशि दिये जाने की सहमती दी है। परन्तु धारा 251क में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 1018,1037,1038 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 1039 में रास्ते की लम्बाई 172 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 688 वर्गमीटर जो तहसीलदार बिसाऊ की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा